(70)

संख्या 83 /XXX(2)/2012

प्रेषक

उत्पल कुमार सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।
4– मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊँ।
5– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 15 मार्च,2012

विषयः– चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियॉं, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरूद्व प्रत्यावेदन और प्रत्योवदन निस्तारण की प्रकिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1450/XXX(2)/2010 दिनांक 30 सितम्बर 2010 के प्रस्तर–6 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 के वर्तमान प्राविधान के स्थान पर उसके सम्मुख प्रतिस्थापित प्राविधान को निम्नवत पढ़ा जायः–

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
6– पूर्व में प्रदत्त 'अच्छा/सन्तोषजनक' श्रेणी को 'श्रेष्ठता' के आधार पर चयन के मामले में मूल्यांकन हेतु 'उत्तम' के समतुल्य माना जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक को मूल्यांकन/Marking को लेकर क्षति न हो।	6– पूर्व में प्रदत्त 'अच्छा/सन्तोषजनक' श्रेणी को 'श्रेष्ठता' तथा 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता' के आधार पर चयन के मामलों में 'उत्तम' के समतुल्य माना जायेगा ताकि ऐसे कार्मिकों को मूल्यांकन/Marking को लेकर क्षति न हो।

2– कृपया उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर 2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या 83 (1)/XXX(2)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5– अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।